

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

प्रेस नोट संख्या 2 (2013 श्रृंखला)

विषय: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति – ‘समूह कंपनी’ की परिभाषा

1.0 सरकार ने 05.04.2013 से प्रभावी ‘2013 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति’ में शामिल एफडीआई नीति में ‘समूह कंपनी’ की निम्नलिखित परिभाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है:

2.1	परिभाषाएं
2.1.15	“समूह कंपनी” का अर्थ है दो या दो से अधिक उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्थिति में हो कि: (i) किसी अन्य उद्यम में 26 प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें; अथवा (ii) अन्य उद्यम के निवेशक मंडल में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकें।

2.0 उपर्युक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डी.वी. प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औ.नी एवं सं. विभाग फाइल सं. 5/3/2005 एफसी-1 दिनांक 3 जून, 2013